मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27–11–2012 को सम्पन्न बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के कार्य–कलापों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति संलग्न।

2. मेसर्स भेल द्वारा बी.टी.पी.एस. एवं एम.टी.पी.एस. के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (R&M) का कार्य लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा धीमी गति से किये जा रहे R&M कार्य तथा बार–बार लक्ष्य बदलने के बारे में लिखे गये दिनांक 07.11.2012 के पत्र के आलोक में योजना आयोग ने दिनांक 03.12.2012 को उच्चस्तरीय बैठक बुलायी है। बैठक में इन यूनिटों को शीघ्र कमीशन करने के लिए राज्य सरकार की चिन्ता (concern), सामग्रियों की अनुपलब्धता, समुचित संसाधनों के अभाव आदि के बारे में चर्चा की जानी है।

3. योजना आयोग से नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य की कार्यान्वयन अवधि (execution period) का विस्तार 12वीं पंचवर्षीय योजना में करने के लिए पहल की जानी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार के दिनांक 22.08.2012 के पत्र के आलोक में इस कार्य की कार्यान्वयन अवधि 11वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 12वीं पंचवर्षीय योजना में करने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जानी है।

4. एम.टी.पी.एस. विस्तार परियोजना (2x195 मेगावाट) पर केन्द्रित हो कर लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से कमीशनींग के लिए महत्तम प्रयास किया जाना है। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, काँटी ने बताया कि 10.01.2013 तक BOP पैकेज के सभी बचे हुए कंट्रैक्ट एवार्ड कर दिये जायेंगे। कोल हैण्डलिंग प्लान्ट का कार्य critical path पर है। इसके कार्यान्वयन पर विशेष निगरानी रखी जानी है।

5. नवम्बर, 2012 में उपर्युक्त परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान में प्रगति हुई है। लेकिन अभी भी वाँछित गति से भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा सतत निगरानी रखी जानी है। भुगतान के तुरंत बाद मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, के.बी.यू.एन.एल. द्वारा चहारदिवारी

या land boundary pillars या कंस्ट्रक्शन मैटेरियल आदि द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया जाना है और कार्य शुरू किया जाना है।

6. निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि मेक अप वाटर कॉरिडोर का सेक्शन–4 की कार्रवाई दो दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जायगा।

7. ऐश डॉइक के लिए 43.94 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी है। 31.10.2012 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कुछ पृच्छा की गयी थी जिसका निराकरण कर जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा 14.11.2012 को जमा किया गया है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए शीघ्र प्रक्रिया की जानी है।

8. चूँकि मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त इकाईयों के लिए शीघ्र जमीन अधिग्रहण अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः जिला भू–अर्जन पदाधिकारी की नियमित पदस्थापना की जानी है। सम्प्रति उप समाहर्त्ता को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

9. रिसेटेलमेंट कॉलोनी के धारा 4/6 के प्रस्ताव में कुछ त्रुटि थी जिसका निराकरण अविलम्ब किया जाना है। धारा 7/17 का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र प्रोसेस किया जाना है।

10. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, काँटी ने बताया कि मेकअप वाटर कॉरीडोर एवं मेकअप पम्प हाउस के लिए भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता दी जानी है।

11. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, काँटी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण प्राप्त करने के लिए एम.टी.पी.एस. के जमीन को mortgage करने के लिए आदेश दिया जाना है। विधि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा समन्वय कर इसका निदान निकाला जाना है। अगर नीतिगत निर्णय लिया जाना है तो मुख्य सचिव स्तर पर शीघ्र बैठक आयोजित की जानी है।

12. निदेशक (राजस्व एवं भूमि सुधार) द्वारा नबीनगर का नियमित रूप से दौरा कर जिला प्रशासन को नबीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी की परियोजना के लिए शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरा करने के लिए अपेक्षित दिशा–निर्देश दिया जाना है।

13. कोयला मंत्रालय से यह पता चला है कि उरमा पहाड़ी टोला कोल ब्लौक जिससे लिंक कर बी.टी.पी.एस. विस्तार परियोजना के लिए Tapering Coal Linkage की सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी गयी है, के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की गयी है। ऐसी स्थिति में अविलम्ब माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से माननीय प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाना है।

14. Bihar State Minerals Development Corporation के प्रबंध निदेशक की अधिसूचना जल्द निर्गत किया जाना है तथा दो निदेशकों को भी उरमा पहाड़ी टोला कोल–ब्लौक के MDO (Mines Developer Cum Operator) की नियुक्ति हेतु टेण्डर कमिटी में भाग लेने के लिए नामित किया जाना है।

15. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, काँटी ने बताया कि अगर काँटी के पताही स्थित Air Strip को बंद कर दिया जाता है तो चिमनी की ऊँचाई से संबंधित सीमा खत्म हो जायगा और 1x195 मेगावाट के अतिरिक्त उत्पादन इकाई की जगह 660 मेगावाट की एक इकाई लगायी जा सकती है। प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा संबंधित विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मख्य सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड बैठक–24/2009 (खंड–I) 5422 पटना, दिनांक 7/12/12

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/12/12
सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

E-JNP-HL-GL-07-12-12-C S ecy-Memo only